भारत डायनामिक्स लिमिटेड
सतर्कता विभाग
निगम कार्यालय :: हैदराबाद

<u>सतर्कता विभाग द्वारा विधिपरक सुधार लाने के लिए किये गये पहल</u>

निवारक सतर्कता के तहत नियमित जाँच, आकस्मिक जाँच और खरीदी तथा सिविल फाइल की संवीक्षा की गई। क्षेत्र जहाँ पर व्यवस्थित सुधार की आवश्यकता है उन्हें पहचाना गया तथा प्रबंधन को सुधारक उपाय सुझाए गए।

सितंबर – 2019 से दिसंबर - 2020 के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा कुल 33 क्षेत्रों में विधिपरक सुधार सुझाए गए हैं और व्यवस्थित सुधार संबंधी कई सुझाव प्रबंधन द्वारा स्वीकृत और कार्यांवित किए गए हैं ।

क्र.सं	फाइल / संदर्भ सं.	किये गये विधिपरक सुधार
1	BDL/ 04/VIG/107/SI-1/2019 Dated 18.09.2019	सीपीएसई-2017 के डी पी ई समेकित मॉडल सीडीए नियमावली के अनुरूप सीडीए नियमों का संशोधन - बीडीएल की आचरण अनुशासन और अपील (सीडीए) नियमावली का संशोधन वर्ष 1975 में किया गया था और मौजूदा बीडीएल-सीडीए नियमावली, 1975 डीपीई समेकित मॉडल सीडीए नियमावली के अनुरूप नहीं है। सतर्कता विभाग सुझाए गए व्यवस्थित सुधार के आधार पर डी पी ई के दिशा-निर्देशों के अनुसार बीडीएल सीडीए नियमावली का संशोधन किया गया तथा दि.17.06.2020 से इन्हें कार्यांवित किया गया।
2	BDL/04/VIG/107/SI-2/2019 Dated 19.09.2019	**एन आई टी की तैयारी –** ई-बिडिंग के माध्यम से किसी वस्तु की खरीदी संबंधी दस्तवेजों के निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि बिड फॉर्म में आवश्यकता का उल्लेख किया गया था जबकि कुछ बिडर ने '1 लॉट' के लिए कोट किया है| सतर्कता विभाग ने एन आई टी की तैयारी, जाँच एवं अनुमोदन के लिए एक प्रणाली विकसित करने का सुझाव दिया, जिसमें संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।
3	BDL/04/VIG/107/SI-3/2019 Dated 20.09.2019	**'ई-रिवर्स ऑक्शन' द्वारा खरीद करने की प्रक्रिया :** बीडीएल में ई-बिडिंग द्वारा ई-खरीदी करने का सबसे आम तरीका है। तथापि, ई-बिडिंग प्रणाली की कमियाँ जैसे – आरंभिक मूल्य न होना, कर्टेल के गठन की संभाव्यता,एन आई टी की बिड मूल्य में दिखाई गयी मूल्य से भी अधिक कीमत बिडर द्वारा कोट किया जाना इत्यादि को देखते हुए सतर्कता विंग ने ई'-रिवर्स ऑक्शन' प्रक्रिया का सुझाव दिया और उसी को लागू किया गया। दिसंबर-2020 तक 24 ई'-रिवर्स ऑक्शन' किए गए और 22 ई-रिवर्स ऑक्शन' में से कंपनी ने कुल अनुमानित मूल्य 26,00,11,268/- का 46% अर्थात कुल रु. 11,96,73,067/- की राशि की बचत की है।

4	BDL/04/VIG/107/SI-4/2019 Dated 26.09.2019	**विभागीय पदोन्नति समिति प्रक्रिया –** यह सिफारिश की गई कि "उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के तहत प्राप्त अंक बंद लिफाफे में रखें जाएंगे। साक्षात्कार समिति केवल साक्षात्कार का आयोजन कर अंक देगी। इसके बाद इन दोनों अंकों को मिलाते हुए योग्यता क्रमसूची तैयार की जाएगी।" प्रबंधन ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया। आगे, जहाँ भी लागू हो 'नवोन्मेषी विचार/ उपलब्धियाँ/ पेपर प्रस्तुतिकरण' के संबंध में 10 अंक के मूल्यांकन के लिए एस ओ पी तैयार किए जाने की सिफारिश दी गई. इसे कार्यान्वित किया गया।
5	BDL/04/VIG/107/SI-5/2019 Dated 26.09.2019	**निविदा दस्तावेजों में दण्ड/जुर्माना खण्ड को शामिल करना –** एक सिविल परियोजना में यह देखा गया कि 'मानक जुर्माना उपबंध' के बारे में निविदा दस्तावेज और कार्य-आदेश में कोई स्पष्टता नही है। तदनुसार, इस जुर्माना उपबंध को एन आई टी में शामिल करने का सुझाव दिया गया और इसे कार्यांवित किया गया।
6	BDL/04/VIG/107/SI-6/2019 Dated 04.10.2019	**ज़मीन/बिल्डिंग रिकॉर्ड्स और ज़मीन प्रबंधन प्रणाली का डिजिटलाइजेशन –** ज़मीन संबंधी रिकार्ड पेपर फाइल में रखा गया है तथा सभी इकायों में अलग-अकग रखे गए हैं. सतर्कता प्रभाग के सुझाव को प्रबंधन ने स्वीकार किया तथा समाविष्ट ज़मीन प्रबंधन नीति को तैयार किया है जो अनुमोदन के लिए भेजी गई है।
7	BDL/04/VIG/107/SI-7/2019 Dated 04.10.2019	**भण्डार में अप्रयुक्त कल्याणकारी वस्तुओं की निपटान के लिए प्रणाली उपलब्ध करना –** भण्डार विभाग में उपलब्ध अप्रयुक्त वस्तु (उपहार, शर्ट्स, शूज़) के निपटान / वितरण के लिए कोई व्यवस्था या प्रणाली उपलब्ध नहीं है। सतर्कता विभाग के सुझाव के आधार पर कल्याणकारी / उपहार वस्तुएँ के वितरण / निपटान के लिए अनुपयुक्तता, भंडार के विवरण के साथ एक एसओपी तैयार किया गया और कार्यांवित किया गया।
8	BDL/04/VIG/107/SI-8/2019 Dated 11.10.2019	**आरंभिक नियुक्ति पर परिवीक्षा तथा स्थायीकरण में अधिशोधन करने का सुझाव –** चालू नियमावली में कार्यपालक/कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों की रेटिंग के संबंध में न्यूनतम मूल्य तय नहीं किया गया और विभागीय प्रधान और / या प्रभागीय प्रधान द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी से दी गयी रेटिंग को नियंत्रित करने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। यह सुझाव दिया है कि 10 अंक के रेटिंग स्केल के साथ न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए तथा स्कोर नियंत्रण के पुनरीक्षण के लिए प्रावधान किया जाए और इसे कार्यांवित किया जाए।
9	BDL/04/VIG/107/SI-9/2019 Dated 23.10.2019	**बीडीएल में रोस्टर अनुरक्षण और आरक्षण नीति –** यह सिफारिश किया गया कि पद-आधारित रोस्टर का सख्ती से पालन किया जाना है और सभी रोस्टर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी मॉडल प्रोफॉर्मा के अनुसार सुधार करने की आवश्यकता है। बीडीएल द्वारा भर्ती/रिक्ति मूल्यांकन वर्ष तय किए जाने की आवश्यकता है। श्रेणी आधार पर रोस्टर तैयार करना चाहिए जो विस्तृत या संविदागत कर सके। आगे, प्रत्येक कैडर/श्रेणी के लिए डी आर और डी पी की प्रतिशतता तय की जानी है। प्रबंधन द्वारा सुझाव स्वीकृत किया गया है। कार्यान्वित करने की प्रक्रिया जारी है।

10	BDL/04/VIG/107/ SI-10/2019 Dated 06.11.2019	**बीडीएल – सीडीए नियमावली में दंड के लिए संशोधन –** बीडीएल (सीडीए) नियमावली में उल्लिखित छोटे/बड़े दंड, डीपीई और सीसीएस (सीसीए) नियमावली में निर्धारित चालू नियमावली के अनुरूप नहीं हैं। दि.11 दिसंबर, 2017 की डीपीई अनुबंध ज्ञापन सं. 15(07)/99-DPE-GM-VOL-III-FTS-2344 के अनुसार दंड नीति में संशोधन किए जाने का सुझाव दिया गया। सुझावों को अपनाते हुए दि. 17.06.2020 से बीडीएल – सीडीए नियमावली को संशोधित और कार्यान्वित किया गया।
11	BDL/04/VIG/107/ SI-11/2019 Dated 03.12.2019	**प्रबंधन प्रशिक्षण आमेलन प्रक्रिया के दौरान कार्यनिष्पादन मूल्यांकन –** प्रशिक्षण अवधि पूरा होने पर एम टी के आमेलन प्रक्रिया के दौरान उनके कार्यनिष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि निर्धारित अन्य मानदण्डों के अलावा सीडीए नियमावली सहित सेवा संबंधी मामलों पर लिखित परीक्षा रखी जाए। भर्ती नियमावली में इससे संबंधित प्रावधान को शामिल करते हुए इस सुझाव को कार्यान्वित किया गया।
12	BDL/04/VIG/107/ SI-12/2019 Dated 03.12.2019	**बीडीएल कंचनबाग में ए/बी/सी क्षेत्रों के लिए पर्यावरण और स्वच्छता नियंत्रण की 'एएएमसी के संबंध अनुचित रूप से एनआईटी का फ्लोटिंग किया जा रहा है -** फ्लोट किए गए तीन एन आई टी के कार्यक्षेत्र की जॉच करने पर यह पाया गया कि तीनों (3) क्षेत्रों के लिए कार्यक्षेत्र समान है। यह सुझाव दिया गया कि एन आई टी के मानदण्ड सुचारू रूप से तय किये जाने हैं. इस सुझाव को कार्यान्वित किया गया है और तदनुसार एन आई टी की रूप-रेखा तैयार की गयी है ।
13	BDL/04/VIG/107/ SI-13/2019 Dated 23.12.2019	**मौद्रिक लाभ की प्राप्ति पर प्रणालीगत सुधार और खिलाडियों को छुट्टी की मंजूरी –** सतर्कता विभाग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि खिलाडियों को विशेष छुट्टी मंजूर करने की प्रक्रिया / नीति में परिशोधन किये जाने की आवश्यकता है। किसी भी खेल-कूद निकाय से प्राप्त मानदेय / पारिश्रमिक की जानकारी खिलाडी द्वारा प्रबंधन को दी जानी है। प्रबंधन ने सतर्कता द्वारा दी गयी प्रकटीकरण संबंधी सुझाव को कार्यान्वित किया तथा परिपत्र भी जारी किया। अन्य सुझाव विचाराधीन रखा गया है।
14	BDL/04/VIG/107/ SI-14/2019 Dated 23.12.2019	**संवेदनशील और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत कार्यपालकों का कार्य क्रमावर्तन की प्रणाली –** यह देखा गया कि एक क्षेत्र में कार्यरत कार्यपालकों का क्रमावर्तन नहीं किया जा रहा है। तथापि, इनके कार्य क्षेत्र में ही एक नया अनुभाग जोडा जा रहा है और एक नया पदनाम दिया जा रहा है जिससे वह एक अलग अनुभाग / विभाग लगता है। सतर्कता विभाग द्वारा दिए गए सुझाव के अधार पर संवेदनशील व अन्य क्षेत्र से कार्यपालकों के स्थानांतरण व कार्य क्रमावर्तन के लिए बृहत दिशानिर्देश तैयार कर कार्यांवित किया गया।

15	BDL/04/VIG/107/ SI-15/2020 Dated 17.01.2020	**सिविल कार्य में वास्तविक प्राक्कलन / बी ओ क्यू की तैयारी –** यह देखा गया है कि सिविल कार्य संबंधी प्राक्कलन में कई बार परिवर्तन किया जा है। कार्य शुरु करने के बाद संविदा का अंतिम मूल्य अनुमानित कीमत से 34% कम पाया जा रहा है। सतर्कता विभाग ने सुझाया कि बीओक्यू एवं प्राक्कलन तैयार करते समय संबंधितों द्वारा व्यावहारिक पद्धति अपनाई जाए. प्रबंधन द्वारा इसे स्वीकार किया गया।
16	BDL/04/VIG/107/ SI-16/2020-2 Dated 30.01.2020	**भर्ती ज्ञापन जारी करना और अस्पताल में भर्ती के दौरान उपस्थिति प्रमाणन –** यह देखा गया कि कुछ कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती हुई अवधि के लिए 'छुट्टी' लगाए जाने के बदले में ओ डी (On duty) दिया जा रहा है। सतर्कता विभाग ने ओडी प्रमाणन रद्द करने और भुगतान की गई उत्पादन प्रोत्साहन राशि वापस लेने की सिफारिश की। यह भी सिफारिश की गयी कि कर्मचारियों की अस्पताल में भर्ती संबंधी जानकारी रखने के लिए एकीकृत प्रणली को विकसित किया जाए और इसी श्रृंखला में उपस्थिति प्रमाणन अधिकारी को भी कर्मचारी की अस्पताल में भर्ती की जानकारी मिले। यह प्रबंधन के विचाराधीन है।
17	BDL/04/VIG/107/ SI-17/2020-3 Dated 03.02.2020	**आपूर्ति और वाहन पास पर सुधार –** यह देखा गया है कि कैंटीन संबंधी खाद्य सामग्री प्राप्त करते समय सुपुर्दगी चलान में उल्लिखित कुछ वस्तुएँ कैंटीन में प्राप्त नहीं हो रही हैं। सुपुर्दगी चलान में वाहन की पंजीकरण संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। सतर्कता विभाग ने सिफारिश की है कि सभी इकाइयों में क्रय आदेश सं., पीओ के प्रति प्राप्त वस्तुओं की संख्या संबंधी रसीद, वाहन सं. ड्राइवर के आने-जाने का समय आदि सभी विवरण पाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था को विकसित और लागू करें। यह प्रबंधन के विचाराधीन है।
18	BDL/04/VIG/107/ SI-18/2020-4 Dated 03.02.2020	**बीडीएल-वी यू में रिटर्नबल मटीरियल गेट पास देना** - बीडीएल के विशाखपट्टणम इकाई में कंपनी परिसर से विक्रेताओं को सामग्री भेजे जाने के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा मैनुअल रूप से आर एम जी पी जारी किए जा रहे है। वर्ष 2014 में जारी आर एम जी पी अभी तक लंबित हैं। इस संबंध में यह सुझाया गया कि विशाखपट्टणम इकाई में आर एम जी पी जारी करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरु की जाए ताकि ट्रैकिंग एवं अनुवीक्षण में अधिक पारदर्शिता लाने में सहायता मिलेगी। विशाखपट्टणम इकाई में ऑनलाइन आर एम जी पी प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया।
19	BDL/04/VIG/107/ SI-19/2020-5 Dated 03.02.2020	**अंतर-संगठन लेखापरीक्षा के दौरान ओडीएफ द्वारा अवलोकन के आधार पर दिए गए सुधार सुझाव –** लेखापरीक्षा के दौरान ओडीएफ द्वारा अवलोकन के आधार पर व्यवस्थित सुधार सुझाव दिया गया कि मार्च-2020 तक संवेदनशील क्षेत्र लंबित स्थानांतरण को पूरे किए जाए। आगे, सुझाव दिया गया कि लंबित स्थानांतरणों की महीनेवार समीक्षा की जाए ताकि सभी अधिकारियों का क्रमावर्तन किया जा सके और किसी भी बहाने इसे लंबित न रखा जाए। प्रबंधन द्वारा स्थानांतरण किया गया।

20	BDL/04/VIG/107/ SI-20/2020-6 Dated 06.03.2020	**एच आर ए मंजूरी करने का विनियम** – यह देखा गया कि कंपनी में कार्य-भार ग्रहण करते ही कर्मचारी बिना कोई दावा या प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए मकान किराए भत्ते के लिए अर्ह्य होते हैं। इस नियम की वजह से अर्ह्य एवं अनर्ह्य दोनों ही मकान किराए भत्ते के हकदार होते हैं। जब कि यह ठीक नहीं है. मकान किराया भत्ता एक अनिवार्य भत्ता है जिसके लिए दावा प्रस्तुत किया जाना है। इस संबंध में एक सुव्यवस्थित सुधार सुझाव दिया गया और इसे कार्यांवित किया गया। सुधार करने का सुझाव दिया गया और यथावत कार्यान्वयन किया गया।
21	BDL/04/VIG/107/ SI-21/2020-7 Dated 12.03.2020	**सिविल संविदाकारों की विक्रेता पंजीकरण** – यह देखा गया कि इसमें सिविल ठेकेदार / सेवा प्रदाताओं की कोई केंद्रीकृत मंच नहीं है। ऐसी व्यवस्था न होने के कारण एक ही ठेकेदार अलग-अलग नाम से कई फॉर्म ल्फोट कर सकता है और वही बिडर को अलग-अलग कंपनियों के नाम से निविदा में भाग ले सकता है। सतर्कता विभाग द्वारा यह सिफारिश दी गई कि सभी सिविल ठेकेदार / सेवा प्रदाताओं के लिए एक केंद्रीकृत वेदिका तैयार की जाए. इस सुझाव को प्रबंधन द्वारा स्वीकार किया गया तथा कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाधीन है।
22	BDL/04/VIG/107/ SI-22/2020-8 Dated 28.05.2020	**आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 'सतर्कता मॉड्यूल ' शामिल करने का प्रस्ताव** – सतर्कता से संबंधित कई मामलों पर कर्मचारियों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह सुझाव दिया गया कि आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 'सतर्कता मॉड्यूल ' शामिल किया जाए।
23	BDL/04/VIG/107/ SI-23/2020-9 Dated 05.06.2020	**अनुमोदित विक्रेता सूची तैयारी की प्रणाली –** यह देखा गया कि कुछ अधिक मूल्य की वस्तुओं के लिए आई एम एम द्वारा अनुमोदित विक्रेता सूची नहीं रखी गई है। तथापि, कंपनी की आई एम एम- मैनुअल के अनुसार मदवार अनुमोदित विक्रेता सूची रखी जाने की आवश्यकता है। सतर्कता विभाग ने सिफारिश की है कि प्रत्येक मद के लिए अनुमोदित विक्रेता सूची तैयार करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जाए तथा एकल अनुमोदित विक्रेता को आदेश दिए गए मदों की समीक्षा की जाए तथा प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के लिए अधिक विक्रेताओं को विकसितकिया जाए। कांकूर्स, इनवार एवं लाँचर के लिए अनुमोदित विक्रेता सूची तैयार है, अन्य उत्पादों के लिए प्रक्रियाधीन है।
24	BDL/04/VIG/107/ SI-24/2020-10 Dated 11.06.2020	**विधिपरक सुधार के अंतर्गत बीडीएल में एकता अभिमुखीकरण का मूल्यांकन –** कर्मचारियों में एकता अभिमुखीकरण का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से कंपनी मे कार्यपालकों के लिए एकता सर्वेक्षण आयोजित किया गया। कंपनी के सभी इकाइयों में से कुल 73% कार्यपालकों ने सत्यनिष्ठा पर दी गयी प्रश्नावली का उत्तर दिया गया।
25	BDL/04/VIG/107/ SI-25/2020-11 Dated 02.07.2020	**बीडीएल- बी यू में संपदा प्रबंधन में सुधार –** यह देखा गया कि भानूर टॉउनशिप में वाणिज्यिक स्थापना / आवासीय क्वाटर्स के आबंटन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया नहीं है। टॉउनशिप में आवासीय/वाणिज्यिक स्थापना का आबंटन करने के लिए एसओपी तैयार कर कार्यांवित करने की सिफारिश दी गई। प्रबंधन द्वारा इस सुझाव को स्वीकृत किया गया और कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

26	BDL/04/VIG/107/ SI-26/2020-12 Dated 14.07.2020	**कर्मचारी में जागरूकता लाने के लिए निवारक सतर्कता मॉड्यूल –** इंट्रानेट पर 'BE VIGILANT' नाम से **सतर्कता मॉड्यूल** होस्ट किया गया जिसमें सतर्कता का उद्देश्य, सतर्कता का दृष्टिकोण, सी वी सी की भूमिका, शिकायतें तथा जाँच-पड़ताल, विभागीय कार्रवाई, सार्वजनिक खरीदी और अनैतिक बिडिंग आदि जैसे विषय को शामिल किया गया। दि. 23.12.2020 से 06.01.2021 के दौरान ' **निवारक सतर्कता'** विषय पर 215 मिड कैरियर कार्यपालकों को 3 बैचों में 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
27	BDL/04/VIG/107/ SI-27/2020-13 Dated 14.07.2020	**पिछले पाँच वर्ष के दौरान की गयी खरीद का विश्लेषण और उस पर दिये गये सुझाव –** पिछले पाँच वर्षों के दौरान दिए गए खरीद आदेशों के विश्लेषण पर यह देखा गया है कि 'एकल संविदा' के सभी रूपांतर सहित इसका संघटक 87% सहित है जो कि हर संभव रूप से अत्यधिक है। यह सार्वजनिक खरीदी के टेनेंट्स को संकीर्ण बनाता है। विक्रेता आधार में वृद्धि लाने की सिफारिश दी गई। यह भी सिफारिश की गयी कि 'PAC के बिना STE पर वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश के साथ आई एम एम दिशानिर्देश की समीक्षा की जाए। प्रबंधन द्वारा इस सुझाव को स्वीकृत किया गया तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।
28	BDL/04/VIG/107/ SI-28/2020-14 Dated 21.07.2020	**एकता सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों की व्याख्या और उस पर व्यवस्थापरक सुधार के लिए सुझाव –** एकता सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रबंधन को सूचित किए गए। उच्छस्तर से निम्नस्तर, निम्नस्तर से उच्छस्तर पर संप्रेषण, वाणिज्यिक निर्णय के संरेखण और संगठन के लक्ष्य तथा कार्यस्थल में सामंजस्य, आपसी विश्वास स्थापित करना इत्यादि क्षेत्रों में व्यवस्थित सुधार के सुझाव दिए गए।
29	BDL/04/VIG/107/ SI-29/2020-15 Dated 03.08.2020	**पूर्ववृत्त, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र और जाति प्रमाण-पत्र आदि के जाँच का विवरण – यह सुझाव दिया गया कि** 'जारी प्राधिकारी' को जाँच पत्र भेजे जाए और साथ ही एक प्रति जिलाधीश को भी भेजी जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि केंद्र सरकार कार्यालयों के जैसे जाति और पी ड्ब्ल्यू बी डी प्रमाण-पत्र की जाँच अनिवार्य रूप से करें। प्रणाली में सुधार का यह सुझाव स्वीकार किया गया और लंबित प्रमाण-पत्र की जॉच की प्रक्रिया जारी है।
30	BDL/04/VIG/107/ SI-30/2020-16 Dated 07.08.2020	**वाहनों को किराये पर लेने संबंधी सुधार –** वाहनों को किराये पर लेने के संबंध में लिए विभिन्न इकाइयों द्वारा फ्लोट किए जाने वाले निविदाओं की शर्तों में एकरूपता नहीं है। कई बार ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत वाहन की आर सी नकली पाए जा रहे हैं और दिए गए वाहन निविदा शर्तों के अनुसार नहीं हैं। सतर्कता विभाग ने सुझाव दिया कि नियमित रूप से आर सी की जॉच करें और सभी इकाइयों में वाहनों को किराये पर लेने के लिए मानक आवश्यकताएँ एवं शर्ते एवं निबंधन के साथ एस ओ पी

		तैयार करने की सिफारिश दी गई। सतर्कता विभाग के विधिपरक सुधार संबंधी सुझाव के आधार पर सेवा कार्य-आदेशों के शर्तें एवं निबंधन का उल्लंघन करने के लिए विभिन्न परिवहन ठेकेदारों से रु. 6,37,209/- की राशि वसूल की गयी।
31	BDL/04/VIG/107/ SI-31/2020-17 Dated 07.08.2020	**प्राक्कलन की तैयारी –** ई-रिवर्स निलामी कार्यान्वित करने के बाद की गई खरीदी के विश्लेषण पर यह देखने में आया कि कंपनी ने पर्याप्त राशि अर्थात अनुमानित मूल्य पर 41% की बचत की है। इसलिए सतर्कता विभाग ने सिफारिश की है कि सामग्री, श्रमिक, ऊपरी खर्च एवं अन्य संबद्ध लागत इत्यादि की नई लागत को लेते हुए वास्तविक इंजीनियरिंग प्राक्कलन प्रस्तुत किए जाए।
32	BDL/04/VIG/107/ SI-32/2020-18 Dated 18.08.2020	**उपस्थिति बोनस / आकस्मिक छुट्टी पर नकदीकरण :** यह देखने में आया कि वर्ष – 2019 के दौरान 53% से भी अधिक कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों ने अपनी आकस्मिक छुट्टी का नकदीकरण किया, इनमें से 16% से भी अधिक कर्मचारियों ने पूरे 12 आकस्मिक छुट्टियों का नकदीकरण किये। जबकि कई बार इन्हें 'फुल ओडी' दिया गया है। केद्र सरकार के संगठनों में और अन्य सार्वजनिक उद्यमों में इस तरह आकस्मिक छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा नहीं है। अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में भी इस तरह के आकस्मिक छुट्टी के नकदीकरण के संबंध में सीएजी ने आपत्ति खडी की है. इसलिए सतर्कता विभाग ने सुझाव दिया कि कंपनी में उपस्थिति बोनस/आकस्मिक छुट्टी के नकदीकरण की योजना रद्द की जाए। यह सुझाव प्रबंधन के विचाराधीन है।
33	BDL/04/VIG/107/ SI-33/2020-19 Dated 16.10.2020	**कर्मचारियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त की जॉच के लिए साक्ष्यांकन फॉर्म में संशोधन :** सुझाया गया कि दिनांक 29 जून, 2016 की डी ओ पी टी की कार्यालय ज्ञापन सं. 18011/2(s)/2016-Estt.(B)(I) के तहत निर्धारित चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के साक्ष्यांकन फॉर्म का अद्यतन फार्मेट अपनाएँ। साथ ही, यह भी सुझा दिया गया कि डीपीई एवं डीओपीटी द्वारा जारी दिशा-निदेशों के क्रम में संगठन में कार्यभार ग्रहण करने वाले भूतपूर्व-सैनिक और केंद्र सरकार के भूतपूर्व कर्मचारी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन के लिए एस ओ पी तैयार करें। यह सुझाव प्रबंधन के विचाराधीन है।

******